ए.

मालती साहू

वी.

राहुल और एएनआर।

(2022 की आपराधिक अपील संख्या 471)

बी.

11 जुलाई, 2022

[एम**.** आर**.** शाह और बी**.** वी**.** नागरत्ना**,** जेजे**]**

दंड संहिता, 1860:धारा. 303-हत्या-अभियोजन मामला जिसमें प्रत्यर्थी ने भाई और बहन की हत्या की थी-मां द्वारा शिकायत-प्रत्यर्थी को दोषसिद्धि और सजा।302 निचली अदालत द्वारा भाई और बहन की हत्या करने के लिए-हालाँकि, उच्च न्यायालय ने आदेश को दरकिनार कर दिया-अपील पर, अभिनिर्धारित किया:अभियोजन पक्ष के गवाह ने आरोपी को मृतक के साथ उनके घर जाते देखा था-हालांकि वह मुकर गया लेकिन उसके साक्ष्य पर उस हद तक विचार किया जा सकता है-अभियोजन पक्ष ने साबित किया और आरोपी के संबंध में उद्देश्य को साबित किया-तीन टुकड़ों में चाकू की बरामदगी, घटना स्थल से बरामद खून के दाग, अपराध करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, और आरोपी के अपराध को साबित करता है-यह भी साबित करता है कि यह आरोपी था जिसने उक्त चाकू खरीदा था-मृतक के साथ-साथ आरोपी के खून के दाग वाले लोइ की बरामदगी, आरोपी द्वारा स्वयं दिए गए प्रकटीकरण बयान के आधार पर थी-इसके अलावा आरोपी उस पर लगी चोट की व्याख्या करने में विफल रहा-इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने यह मानते हुए गलती की कि अभियोजन पक्ष लिंक सबूत को साबित करने में विफल रहा, जो साबित कर सकता था।

सी.

डी.

ई.

एफ.

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः**1.1** हालाँकि, पीडब्लू-**8** ने शुरू में पुलिस के सामने बयान दिया कि उसने आरोपी को मृतक के साथ उनके घर जाते देखा था, लेकिन अदालत के सामने वह मुकर गया। हालाँकि, जिरह के दौरान, उन्होंने कहा कि घटना से कुछ दिन पहले के-मृतक ने उन्हें खुलासा किया था कि आरोपी आर ने उस पर कुछ अश्लील इशारे किए थे।कानून की तय स्थिति के अनुसार, यहां तक कि एक शत्रुतापूर्ण गवाह का सबूत भी

जी.

एच.

440 ए.

441

मालती साहू बनाम राहुल और ए. एन. आर.

जिस हद तक विचार किया जा सकता है, वह अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करता है।इसलिए, अभियोजन पक्ष ने आरोपी के संबंध में उद्देश्य को साबित और साबित किया है। **[**पैरा **7] [448-**ई-जी**]**

1.2 साक्ष्य में एक अन्य कड़ी, जो अभियुक्त व्यक्ति के अपराध को स्थापित करती है और घर लाती है, वह है तीन टुकड़ों में चाकू की बरामदगी, जिसमें घटना स्थल से खून के दाग बरामद किए गए थे, जिसका उपयोग अपराध करने के लिए किया गया था।अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने और साबित करने में सफल रहा कि यह आरोपी था, जिसने पीडब्लू-**9** से उक्त चाकू खरीदा था, जिसने न केवल आरोपी द्वारा खरीदे गए चाकू की पहचान की, बल्कि यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि तीन टुकड़ों में पाया गया चाकू वही है, जिसे आरोपी ने खरीदा था।उन्होंने आरोपी की पहचान भी कर ली है।मेडिकल रिपोर्ट और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, मौत का कारण गला काटने के परिणामस्वरूप रक्तस्राव और सदमे का परिणाम था।जी के व्यक्ति पर तेरह पूर्व-शव परीक्षण चोटें और के के शरीर पर आठ चोटें पाई गईं। यह राय दी गई कि यह एक तेज धार वाले हथियार के कारण हो सकता है।पोस्टमॉर्टम करने वाली डॉक्टर पीडब्लू-**3** ने अपने साक्ष्य में कहा कि पूरे-एकल हथियार के रूप में लिए जाने पर हथियार की जांच से चोटें संभव हो सकती हैं।उसने कहा कि गले की चोट भी तीन टुकड़ों से संभव थी और यह संभव था कि इस प्रक्रिया के दौरान हथियार टूट गया हो।यह साबित और सिद्ध किया गया है कि हथियार-चाकू के उपयोग के दौरान, अपराध करने में, उसे तोड़ा गया होगा।**[**पैरा **7.1] [448-**एच**; 449-**ए-ई**]**

बी.

सी.

डी.

ई.

1.3 साक्ष्य की श्रृंखला में अगली कड़ी लोई की बरामदगी है जिसमें मृतक के के साथ-साथ आरोपी के खून के धब्बे हैं, जिसे लोई को स्वयं आरोपी द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयान के आधार पर बरामद किया गया था।हालाँकि, पंचस ने वसूली पंचनामा/प्रकटीकरण पंचनामा का विरोध किया था, फिर भी अभियोजन पक्ष ने आई. ओ. के माध्यम से वही साबित किया है। हालाँकि, दुर्भाग्य से, उच्च न्यायालय ने डी. एन. ए./सी. एफ. एस. एल. रिपोर्ट पर संदेह किया है, जो जर्मन नहीं हैं, अर्थात्, के के हाथों में मानव बाल की जांच नहीं की गई थी। रक्त के धब्बे ठीक से प्रस्तुत नहीं किए गए थे।हालांकि, उच्च न्यायालय ने सी. एफ. एस. एल. रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा नहीं की है।सी. एफ. एस. एल. रिपोर्ट के साथ-साथ सी. एफ. एस. एल. के गवाहों के बयानों को देखने के बाद, लोइ पर खून पाया गया।

एफ.

जी.

एच.

ए.

के और अभियुक्त के साथ मिलान करने के लिए।**[**पैरा **7.2] [449-**ई-एच**]**

1.4 एक अन्य परिस्थिति, जो अभियुक्त के खिलाफ जाएगी, वह यह होगी कि अभियुक्त के बाएं हाथ की अनामिका उंगली पर एक चोट पाई गई थी, जिसका इलाज पीडब्लू**-20,** डॉक्टर ने किया, जिन्होंने कहा कि चोट को देखकर, उन्होंने पाया कि यह एक तेज धार वाले हथियार के कारण हो सकता है।आरोपी अपने ऊपर लगी चोट को समझाने में विफल रहा है।इसके विपरीत, वह एक झूठा मामला लेकर आए कि चोट किसी लोहे की छड़ के कारण हुई थी, जिसे साबित और साबित नहीं किया गया है।**[**पैरा **7.3] [450-**ए-सी**]**

बी.

सी.

1.5 मामले के उक्त तथ्यों और अभिलेख पर साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी करने में एक गंभीर/गंभीर त्रुटि की कि अभियोजन पक्ष लिंक साक्ष्य को साबित करने में विफल रहा है, जो अभियुक्त के अपराध को स्थापित कर सकता है और घर ला सकता है।उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष विकृत हैं।उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर पूरे साक्ष्य की ठीक से सराहना नहीं की है, विशेष रूप से, निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष, जो कि अभिलेख पर पूरे साक्ष्य की सराहना पर थे।इन परिस्थितियों में,

उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि को उलटने और परिणामस्वरूप अभियुक्त को बरी करने का विवादित निर्णय और आदेश अस्थिर है और इसे रद्द कर दिया जाता है और दरकिनार कर दिया जाता है।अपराध यू/एस के लिए अभियुक्त पर निचली अदालत द्वारा लगाया गया निर्णय और दोषसिद्धि का आदेश और सजा।**302** भारतीय दण्ड संहिता सी**.** को बहाल किया गया है।**[**पैरा **8,8.1,9] [450-**सी**-**एफ**]**

डी.

ई.

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2022 की आपराधिक अपील संख्या 471।

एफ.

चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 01.10.2019 से आपराधिक अपील सं। 2014 का डी-635-डीबी।

के साथ

जी.

2022 की आपराधिक अपील संख्या 472।

नीरज कुमार जैन, सीनियर एड., संजय सिंह, उमंग शंकर, सारद के. सिंघानिया, सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी, सुश्री रुचि कोहली, सुश्री प्रीति ए।

एच.

443

मालती साहू बनाम राहुल और ए. एन. आर.

रानी, भुवन कपूर, गुरमीत सिंह मक्कर, जसमीत सिंह, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

आदित्य धवन, सुश्री किरण धवन, चंदर शेखर अशरी, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी.

एम**.** आर**.** शाह**,** जे**.**

1. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 2014 के सी. आर. ए. डी. संख्या 635 में चंडीगढ़ में पारित किए गए विवादित फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी-आरोपी-राहुल द्वारा दायर उक्त अपील को

स्वीकार कर लिया है और कविता साहू और गौरांग साहू की हत्या करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 172 के तहत आरोपी को दोषी ठहराते हुए निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश और सजा को रद्द कर दिया है, राज्य के साथ-साथ मूल शिकायतकर्ता/मुखबिर-मृतक की मां ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

सी.

डी.

2. एक मालती देवी के बयान पर, जो 16.12.2011 पर दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह और उनके पति पेशे से शिक्षक थे।कि उनके पति मेवात, हरियाणा में तैनात थे और वह सेक्टर-17, पंचकूला में तैनात थीं।उनके दो बच्चे थे, यानी बड़ी बेटी कविता, जिसकी उम्र लगभग 17 साल थी, जो गुरु नानक पब्लिक स्कूल, सेक्टर-36, चंडीगढ़ की छात्रा थी, जबकि उनका छोटा बेटा गौरांग साहू सरकारी स्कूल का छात्र था। मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर-37, चंडीगढ़।उस दिन, वह सुबह 8:30 बजे ड्यूटी के लिए घर से निकली थी और दोनों बच्चे घर पर थे, क्योंकि यह उनकी छुट्टी थी।दोपहर करीब 3 बजे लौटने पर उसने अपनी बेटी को खून से लथपथ पाया और जब वह ऊपर गई तो उसने अपने बेटे को भी खून से लथपथ पाया और उसकी गर्दन पर भी एक कट था।कमरे में सारा सामान बिखरा पड़ा था।

ई.

एफ.

2.1 उक्त बयान/शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था और शुरू में स्थानीय पुलिस स्टेशन द्वारा अनुसंधान की गई थी।विशेष रिपोर्ट भेजी गई और अनुसंधान शुरू की गई।जाँच अधिकारी ने घटनास्थल से आपत्तिजनक सामग्री एकत्र की।उन्हें पार्सल में बदल दिया गया और "सीएस" की मुहर से सील कर दिया गया।शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए जनरल अस्पताल, सेक्टर-16, चंडीगढ़ भेज दिया गया।अनुसंधान के दौरान, धारा 161 Cr.P.C के तहत गवाहों के बयान दर्ज किए गए।

जी.

एच.

ए.

पीडब्लू-8 के बयान सहित, सिद्धार्थ वशिष्ठ, जिन्होंने संबंधित समय में खुलासा किया कि उन्होंने आरोपी राहुल को कविता और गौरांग के साथ शिवालिक पब्लिक स्कूल के किनारे से नीले रंग का स्वेटर पहनकर पैदल अपने इलाके की ओर जाते हुए देखा था और लौटते समय, उन्होंने (राहुल) उक्त नीले रंग का स्वेटर नहीं पहना था, बल्कि उन्होंने खुद को भूरे रंग के शॉल या लोइ से ढक लिया था। 2. 2 पीडब्लू-8 सिद्धार्थ वशिष्ठ द्वारा दिए गए बयान के आधार पर पुलिस ने अपराधी राहुल की तलाश शुरू कर दी।बाद में मामले को अपराध शाखा (एस. आई. टी.), चंडीगढ़ को स्थानांतरित कर दिया गया और इंस्पेक्टर अमनजोत सिंह द्वारा अनुसंधान शुरू की गई।अनुसंधान के दौरान सीलबंद पार्सल सी. एफ. एस. एल., सेक्टर 36, चंडीगढ़ को भेजे गए।जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पीडब्लू-8, सिद्धार्थ वशिष्ठ के बयान के आधार पर राहुल पर अपराध करने का संदेह था और इसलिए, उसकी तलाश शुरू की गई थी।वह अपने घर से लापता पाया गया।बाद में उन्हें जिला अंबाला के गाँव साहा से 17.01.2012 पर गिरफ्तार किया गया और अदालत में पेश किया गया।

बी.

सी.

2.3 उसके प्रकटीकरण बयान के आधार पर, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत, खून से सने कपड़ों वाला एक थैला बरामद किया गया था।कि अनुसंधान के दौरान, अपराध स्थल से एक स्वेटर बरामद किया गया और उक्त स्वेटर को सी. एफ. एस. एल. को भेज दिया गया। काले थैले से एक खून से सना लोइ और कपड़े बरामद किए गए, जो आरोपी द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयान के आधार पर बरामद किया गया था।अनुसंधान अधिकारी ने अन्य गवाहों के बयान भी दर्ज किए और खुलासा बयान के आधार पर अनुसंधान के दौरान अनुसंधान अधिकारी ने पीडब्लू-20 डॉ. देविंदर कपिल का बयान दर्ज किया, जिनसे आरोपी ने अपने बाएं हाथ की अनामिका उंगली पर लगी चोट के संबंध में प्राथमिक उपचार लिया।अभियुक्त द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयान के आधार पर, पीडब्लू-9, एक दुकानदार का बयान दर्ज किया गया और उसके अनुसार, अभियुक्त ने चाकू (अपराध करने में इस्तेमाल किया गया) खरीदा था।अनुसंधान के समापन के बाद, अनुसंधान अधिकारी ने भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 307 के तहत आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।

डी.

ई.

एफ.

जी.

2.4 चूंकि मामला विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य था, इसलिए विद्वान मजिस्ट्रेट ने मुकदमे के लिए मामले को सत्र न्यायालय को सौंप दिया।अभियुक्त की याचिका दर्ज की गई।उन्होंने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और इसलिए कविता साहू और गौरांग

साहू की हत्या करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 307 के तहत अपराध के लिए सत्र अदालत द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया।

एच.

445

मालती साहू बनाम राहुल और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

2.5 अभियुक्त के खिलाफ आरोप को घर लाने के लिए, अभियोजन पक्ष ने सभी 21 गवाहों से निम्नानुसार पूछताछ कीः-

बी.

सी.

डी.

ई.

2.6 उपरोक्त गवाहों के माध्यम से, अभियोजन पक्ष ने प्रासंगिक दस्तावेजी साक्ष्यों को रिकॉर्ड में लाया।अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों को बंद करने के बाद, धारा 313 Cr.P.C के तहत आरोपी का आगे का बयान दर्ज किया गया।अभियुक्त का मामला पूरी तरह से नकारने का था। अभियुक्त ने अपने बचाव में कोई सबूत नहीं दिया।

एफ.

2.7 मुकदमे के समापन पर और सबूतों की सराहना पर, निचली अदालत ने आरोपी को कविता साहू और गौरांग साहू की हत्या करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 307 के तहत अपराध का दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई, यानी अपने शेष प्राकृतिक जीवन तक और 5 लाख रुपये का जुर्माना भी देने की सजा सुनाई। 25, 000/-।विद्वत विचारण न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि मूल सजाएं समवर्ती रूप से चलेंगी।

जी.

एच.

2.8 भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 302 के तहत अपराध के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश और सजा से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, अभियुक्त ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की और विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए अभियुक्त को बरी कर दिया कि यह परिस्थितिजनक साक्ष्य का मामला है और कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है और अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के अपराध को उचित संदेह से परे साबित करने के लिए परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला साबित नहीं की है।अभियुक्त को बरी करते हुए, उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष साक्ष्य में कड़ी को साबित करने में विफल रहा है, जो अभियुक्त के अपराध को स्थापित और घर ला सकता है।

बी.

सी.

2.9 उच्च न्यायालय द्वारा कविता साहू और मूल वादी गौरांग साहू, मृतक की माँ (कविता साहू और गौरांग साहू) की हत्या करने के अपराध के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए निचली अदालत द्वारा भारतीय दण्ड संहिता और सजा के आदेश को रद्द करने और खारिज करने के विवादित फैसले और बरी करने के आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए राज्य ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

डी.

3. पीड़ित की मां की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नीरज कुमार जैन और राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री रुचि कोहली ने जोरदार ढंग से कहा है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए अभियुक्त को बरी करने में गंभीर त्रुटि की है कि अभियोजन पक्ष साक्ष्य में आवश्यक कड़ी साबित करने में विफल रहा है जो अभियुक्त के अपराध को स्थापित कर सकता है और उसे घर ला सकता है।

ई.

3.1 अपीलार्थी की ओर से यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष प्रत्यर्थी के मृतक को मारने के उद्देश्य को साबित करने में सफल रहा है।कि पीडब्लू-8 के बयान से भी (हालांकि वह मुकर गया), अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने और साबित करने में सक्षम रहा है कि आरोपी मृतक (कविता साहू) को परेशान कर रहा था।

एफ.

3.2 अपीलार्थीगण की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की उचित रूप से सराहना नहीं की है और इस तथ्य पर विचार नहीं किया है कि अपराध करने में इस्तेमाल किया गया चाकू, जो घटना स्थल से बरामद किया गया था, आरोपी द्वारा खरीदा गया था, जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा संबंधित गवाह-दुकानदार-पीडब्लू-9 की जांच करके साबित और साबित किया गया है।

जी.

एच.

447

मालती साहू बनाम राहुल और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

यह प्रस्तुत किया जाता है कि दुकानदार (पीडब्लू-9) ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि चाकू (चाकू के तीन टुकड़े), जो घटना स्थल से खून के दाग के साथ बरामद किया गया था, वही चाकू था, जिसे आरोपी ने खरीदा था और दुकानदार ने भी आरोपी की पहचान की थी।अपीलार्थीगण की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियुक्त के कहने पर बरामद किए गए लोइ में भी अभियुक्त के रक्त समूह के समान रक्त के धब्बे थे और अभियुक्त यह समझाने में विफल रहा है।अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह आग्रह किया जाता है कि अभियुक्त को भी उसके बाएं हाथ की अनामिका उंगली पर चोट लगी है, जिसका घटना के तुरंत बाद पता चला और अभियुक्त उसे समझाने में विफल रहा।इसने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष डॉ. देविंदर कपिल, अभि.सा. -20 से पूछताछ करके आरोपी पर चोट साबित करने में सफल रहा है।यह तर्क दिया जाता है कि इसलिए, जब अभियुक्त अपने खिलाफ पाई गई उपरोक्त आपत्तिजनक सामग्री की व्याख्या करने में विफल रहा, अर्थात् रक्त के दाग वाले लोइ, जो उसके कहने पर बरामद किया गया था और रक्त के दाग वाले चाकू, बरामद किए गए और घटना स्थल से पाए गए, जिसे उसने अपराध करने से पहले खरीदा था और यहां तक कि शत्रुतापूर्ण गवाह-अभि.सा. -8 के बयान/बयान से भी, उद्देश्य साबित और साबित हो गया है और इसलिए, उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को बरी करने में एक गंभीर/गंभीर त्रुटि की है।

बी.

सी.

डी.

ई.

3.3 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और पीडब्लू-8, पीडब्लू-9 और पीडब्लू-20 के बयानों और चिकित्सा साक्ष्य पर भरोसा करते हुए, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन पक्ष ने लिंक साक्ष्य को सफलतापूर्वक साबित कर दिया है, जो अभियुक्त के अपराध को स्थापित करता है और घर लाता है।

एफ.

4. प्रत्यर्थी-अभियुक्त की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री आदित्य धवन द्वारा वर्तमान अपीलों का जोरदार विरोध किया जाता है।प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, रिकॉर्ड पर पूरे साक्ष्य की सराहना पर, उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से निष्कर्ष दर्ज किए हैं कि अभियोजन पक्ष लिंक साक्ष्य को साबित करने में विफल रहा है जो प्रत्यर्थी-अभियुक्त के अपराध को स्थापित और साबित कर सकता है।4.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा उन परिस्थितियों पर विश्वास न करने के लिए ठोस कारण दिए गए हैं, जो निचली अदालत द्वारा

अभियुक्तों के खिलाफ ठहराए गए थे।यह तर्क दिया जाता है कि वर्तमान मामला परिस्थितिजनक साक्ष्य पर आधारित है और पीडब्लू-8 प्रतिकूल हो गया था।यह है।

जी.

एच.

448

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 7 एस सी आर।

आगे तर्क दिया कि यह साबित नहीं किया गया है और साबित किया गया है कि खून के दाग वाले लोइ आरोपी के थे।

4.2 यह भी आग्रह किया जाता है कि अभियोजन पक्ष भी ठोस साक्ष्य का नेतृत्व करके उद्देश्य को साबित करने में विफल रहा है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहाँ तक अभियुक्त की अनामिका उंगली पर पाई गई चोट का संबंध है, यह एक पुरानी चोट थी।यह तर्क दिया जाता है कि जब मामला परिस्थितिजनक साक्ष्य पर आधारित होता है और अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं होता है, तो उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को बरी करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है।जब ठोस कारण बताते हुए, उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को उलट दिया है और इस तरह आरोपी को बरी कर दिया है, तो यह प्रार्थना की जाती है कि वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत शक्तियों के प्रयोग में हस्तक्षेप न करे।

बी.

सी.

5. हमने संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है।

6. हमने निचली अदालत द्वारा अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 302 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराते हुए पारित निर्णय और आदेश और अभियुक्त को बरी करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश का अध्ययन, विचार और अध्ययन किया है।

डी.

7. वर्तमान मामले में, जहां तक अभियुक्त का संबंध है, अभियोजन पक्ष उद्देश्य को साबित करने में सफल रहा है।हालाँकि, पीडब्लू-8 ने शुरू में पुलिस के सामने बयान दिया कि उसने आरोपी को मृतक के साथ उनके घर जाते देखा था, लेकिन अदालत के सामने वह मुकर गया।

हालाँकि, लोक अभियोजक द्वारा उससे जिरह की गई थी और जिरह के दौरान उसने कहा है कि कविता साहू-मृतक उर्फ किमी ने घटना से कुछ दिन पहले उसे खुलासा किया था कि आरोपी राहुल ने उस पर कुछ अश्लील इशारे किए थे।उसने आगे कहा है कि कविता उर्फ किमी अक्सर अपने निजी मामलों के बारे में उससे बात करती थी।उन्होंने यह भी कहा है कि जब किमी ने उन्हें राहुल की गतिविधियों के बारे में बताया तो उन्हें बुरा लगा।उसने यह भी कहा है कि किमी ने उसे 4 और 5 दिसंबर, 2011 को आरोपी राहुल के व्यवहार के बारे में बताया था।

ई.

एफ.

कानून की तय स्थिति के अनुसार, शत्रुतापूर्ण गवाह के साक्ष्य पर भी इस हद तक विचार किया जा सकता है कि यह अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करता है।इसलिए, अभियोजन पक्ष ने उस हद तक उद्देश्य को साबित और साबित किया है।

जी.

7.1 सबूत में एक और कड़ी, जो आरोपी व्यक्ति के अपराध को स्थापित करती है और घर लाती है, वह है तीन ए में चाकू की बरामदगी।

एच.

449

मालती साहू बनाम राहुल और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

घटना स्थल से बरामद किए गए टुकड़े, जिनका उपयोग अपराध करने के लिए किया गया था। अनुसंधान के दौरान और घटनास्थल की गहन अनुसंधान के दौरान, कमरे में फर्श पर तीन टुकड़ों में एक चाकू पड़ा हुआ पाया गया, जहाँ कविता का शव पड़ा था।चाकू पर "ग्लेयर" शब्द उत्कीर्ण था।अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने और साबित करने में सफल रहा है कि यह आरोपी था, जिसने रवि मित्तल, पीडब्लू-9 से उक्त चाकू खरीदा था।गवाह पीडब्लू-9 ने न केवल आरोपी द्वारा खरीदे गए चाकू की पहचान की थी, बल्कि उसने यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि चाकू (जो तीन टुकड़ों में मिला था) वही है, जिसे आरोपी ने खरीदा था।उन्होंने आरोपी की पहचान भी कर ली है।मेडिकल रिपोर्ट और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, मौत का कारण गला काटने के परिणामस्वरूप रक्तस्राव और सदमे का परिणाम था।गौरांग के व्यक्ति पर तेरह पूर्व शव परीक्षण चोटें और कविता के शरीर पर आठ चोटें पाई गईं।यह राय दी गई थी कि ऐसा एक तेज धार वाले हथियार के कारण भी हो सकता है।पीडब्लू-3, जो बोर्ड के सदस्यों में से एक थी, जिसने पोस्टमॉर्टम किया, ने अपने साक्ष्य में यह भी कहा कि पूरी तरह से लिए जाने पर हथियार की जांच से चोटें संभव हो सकती हैं।अर्थात, एकल

हथियार।उसने कहा कि गले की चोट भी तीन टुकड़ों से संभव थी और यह संभव था कि इस प्रक्रिया के दौरान हथियार टूट गया हो।घटना स्थल से तीन टूटे हुए टुकड़ों में चाकू बरामद किया गया था जिसमें खून के धब्बे थे और यह साबित किया गया है और यह साबित किया गया है कि हथियार के उपयोग के दौरान, यानी चाकू, अपराध करने में, वह टूट गया होगा।

बी.

सी.

डी.

ई.

7.2 सबूतों की श्रृंखला में अगली कड़ी लोई की बरामदगी है जिसमें मृतक कविता के साथ-साथ आरोपी के खून के धब्बे हैं, जिसे लोई को खुद आरोपी द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयान के आधार पर बरामद किया गया था।हालाँकि, पंचस ने वसूली पंचनामा/प्रकटीकरण पंचनामा का विरोध किया था, फिर भी अभियोजन पक्ष ने आई. ओ. के माध्यम से वही साबित किया है। हालाँकि, दुर्भाग्य से, उच्च न्यायालय ने डी. एन. ए./सी. एफ. एस. एल. रिपोर्ट पर संदेह किया है, जो जर्मन नहीं है, अर्थात् कविता के हाथों में मानव बाल की जांच नहीं की गई थी। रक्त के धब्बे ठीक से प्रस्तुत नहीं किए गए थे।हालांकि, उच्च न्यायालय ने रिकॉर्ड पर सी. एफ. एस. एल. रिपोर्ट की विस्तृत चर्चा नहीं की है।

एफ.

जी.

सी. एफ. एस. एल. रिपोर्ट के साथ-साथ सी. एफ. एस. एल. के गवाहों के बयानों को देखने के बाद, हमारी राय है कि लोइ पर खून कविता और आरोपी के खून से मेल खाता था।

एच.

7.3 एक अन्य परिस्थिति, जो अभियुक्त के खिलाफ जाएगी, वह यह होगी कि अभियुक्त के बाएं हाथ की अनामिका उंगली पर चोट पाई गई थी, जिसका इलाज पीडब्लू-20, डॉ. देविंदर कपिल ने किया था।उन्होंने अपने साक्ष्य में कहा कि "आरोपी दिसंबर, 2011 में अपने क्लिनिक में आया और अपने नाम का खुलासा किया; उसके बाएं हाथ की अनामिका उंगली पर चोट लगी थी और वह प्राथमिक उपचार के लिए उसके पास आया था; उंगली पहले से ही

आरोपी द्वारा रूमाल से ढकी हुई थी; उसे हटाने पर, उसने अपने बाएं हाथ की अनामिका उंगली पर चोट पाई; जब उसने चोट के बारे में पूछा, तो उसने खुलासा किया कि उसे किसी लोहे की बार से उपरोक्त चोट लगी है।उन्होंने यह भी कहा कि चोट को देखकर उन्होंने पाया कि यह एक तेज धार वाले हथियार के कारण हो सकता है।" आरोपी अपने ऊपर लगी चोट को समझाने में विफल रहा है।इसके विपरीत, वह एक झूठा मामला लेकर आए हैं कि चोट किसी लोहे की छड़ से लगी थी, जिसे साबित और साबित नहीं किया गया है।

बी.

सी.

8. मामले के उपरोक्त समग्र तथ्यों और रिकॉर्ड पर साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी करने में एक गंभीर/गंभीर त्रुटि की है कि अभियोजन पक्ष लिंक साक्ष्य को साबित करने में विफल रहा है, जो आरोपी के अपराध को स्थापित और घर ला सकता है।उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष विकृत हैं।उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर पूरे साक्ष्य की, विशेष रूप से, विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों की, जो अभिलेख पर पूरे साक्ष्य की सराहना पर थे, उचित रूप से सराहना नहीं की है।

डी.

8.1 इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि को उलटने और परिणामस्वरूप अभियुक्त को बरी करने का विवादित निर्णय और आदेश टिकाऊ नहीं है और इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए और खारिज कर दिया जाना चाहिए।

ई.

9. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को देखते हुए, वर्तमान अपीलें सफल होती हैं। अभियुक्त को दोषमुक्त ठहराते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और खारिज कर दिया जाता है।निचली अदालत द्वारा अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा302 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराने के फैसले और दोषसिद्धि और सजा के आदेश को एतद्वारा बहाल किया जाता है।

एफ.

अब, प्रत्यर्थी-अभियुक्त को निचली अदालत द्वारा दी गई सजा से गुजरने के लिए संबंधित जेल प्राधिकरण/संबंधित अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा।

जी.

वर्तमान अपीलों को तदनुसार अनुमति दी जाती है।

लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा कर दिया जाता है।

एच.

निधि जैन

अपीलों की अनुमति दी गई।